

संख्या-577 / आठ-1-26-58 बजट / 2018 (2049741)

प्रेषक,

पी0 गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश। | 2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश। |
| 3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0। | 4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 27 मई, 2026

विषय:- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने सम्बंधी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-834/आठ-1-19-58बजट/2018 दिनांक 06.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित कार्यों से सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

- (1) यातायात सुधार सम्बंधी कार्य।
- (2) मिसिंग लिंक रोड सम्बंधी कार्य।
- (3) पार्किंग निर्माण सम्बंधी कार्य।
- (4) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सम्बंधी कार्य।
- (5) सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्बंधी कार्य।
- (6) सौर ऊर्जा स्थापना सम्बंधी कार्य।
- (7) जलाशयों (वाटरवाडिज) के पुनरोद्धार/पुनर्जीवन सम्बंधी कार्य।
- (8) मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़क निर्माण सम्बंधी कार्य।
- (9) चौराहों के सुन्दरीकरण सम्बंधी कार्य।
- (10) सड़कों के नवनिर्माण/चौड़ीकरण सम्बंधी कार्य।
- (11) पार्को की स्थापना सम्बंधी कार्य।
- (12) फुटओवरब्रिज निर्माण सम्बंधी कार्य।
- (13) नई नाली का निर्माण कार्य व जल निकासी व्यवस्था सुदृढीकरण संबंधी कार्य।

- (14) विद्युतीकरण संबंधी कार्य।
 (15) सीवर लाइन, एस0टी0पी0 संबंधी कार्य।
 (16) जलापूर्ति एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य।

2- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से कराये जाने वाले चिन्हित उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण सम्बंधी कार्य भी समाहित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों से ही सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को विचारार्थ उपलब्ध कराया जाए। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4- शासनादेश दिनांक 06.06.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

Digitally signed by
 GURU PRASAD PORALA
 (पी0: गुरुप्रसाद)
 10:47:39
 प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
5. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
 GIRISH CHANDRA MISHRA
 Date: 27-05-2026
 (गिरिश चन्द्र मिश्र)
 संयुक्त सचिव